

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज


09<sup>05</sup>/<sub>18</sub> पत्रावली न्याय आपठे द्वारा कार्यवाही  
2018 के तहत केस न्याय अदालत के काउं  
बालडी में पेसा ड्रॉइ प्रकृती का निराकरण  
लोक अदालत की आवण से नहीं हो पाया।  
अतः पत्रावली पूर्व अपेक्षापुत्रावली 09<sup>05</sup>/<sub>18</sub>  
से पेसा हो।

22<sup>05</sup>/<sub>18</sub> पत्रावली पेसा ड्रॉइ प्रकृती में  
पुत्रावली उभय पक्ष अपरिचित व छलाश उभयपक्ष  
ने विवाद किया कि जमा (1) तलाश से संबंधित  
हैं अतः जमा (1) में शामिल डिमें जारी करने  
की आदेश फांशे।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड  
का अवलोकन किया गया। चूंकि जमा (1)  
तलाश से संबंधित हैं। अतः दावा जामिक  
दप से स्वीकार किया जाकर जामिक डिमें  
दस आशय की जारी की जाती हैं कि :-

आदेश

तहसीलदार खण्डेला विवादित आराजी खसरा नं.  
52/1 एका 0.55 हे. तत ग्राम चक खालन  
अवस्थित का विवादित पक्षकारों को सूचित करते  
हुए उनकी उपस्थिति में स्वयं निरीक्षण कर  
विवादित पक्षकारों का वर्तमान कब्जा करत  
अनुसार खं " कर्हि मीरस एंड कोउंडल "।  
के आधार पर प्रथम - प्रथम लोकात कायम  
करते हुए, मित कदम नम्बर डालकर  
नम्बर देस में तालीम करते हुए विस्तृत  
विभाजन उल्लाव तैयार करवाये, वास्ते

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	<p>जाप्त हीने विस्तृत विभाजन उत्तर पत्रावली  दिलोक 07/06/18 को पैरा हो।</p> <p><i>(Signature)</i>  <b>भागीरथ शाख</b>  <b>(RAS)</b>  सहायक कलेक्टर  (फास्ट ट्रेक) खण्डेला</p>

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

**न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), खण्डेला (सीकर)**  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कम्प कोर्ट)

आज अदालत ..... सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक मुकाम ..... खण्डेला  
पीठासीन अधिकारी:- श्री भागीरथ शाह, RAS

उनवान शानचन्द बनाम 1) वज्रपाल

दावा बाबत तलास्मा व स्वार्थ निषेधाज्ञा  
मुकदमा नम्बर :- 52/2016

निर्णय दिनांक :- 22/05/2018  
यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री भागीरथ शाह, RAS व श्री रामानुज विजायिया  
मिनजानिब मुददई रुबरु श्री रामानुज विजायिया

मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -  
तहसील खण्डेला विवादित आराजी खला नं. 52/1, एका 0.55 हे. तन आराजी  
चक (दाजना) अवस्थित का विवादित पल्लकारन को सूचित करते हुए उसकी  
उपस्थिति में स्वयं निरीक्षण का विवादित पल्लकारन का वर्तमान कब्जा कारन  
अनुसार एवं "वाई मीटिंग एण्ड काउण्टर्स" के आधार पर पृथक-पृथक मुकाम  
कायम करते हुए, मिन वददा नम्बर डालकर नक्सा ट्रेस में तामील करते  
हए विस्तृत विभाजन इस्ताव तैयार करवाये गये उक्तण में नियत जगामा तीड  
परी दिनांक 2/6/18 से पूर्व न्यायालय को अखशक रूप ले भिजवाये।  
खर्चा पक्षकारान्त अपना-अपना वहन करेगे।

यह आज दिनांक 22/05/2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी  
ई।



[Signature]  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)  
खण्डेला (सीकर)  
सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रैक) खण्डेला

वाद के खर्च

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 ..... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील		जोड़	
जोड़			

✳. पुत्र मोहरीलाल जाति जाट निवासी जोधावाली  
ठाणी तहसील - खण्डेला जिला - सीकर राज.

— वादी

✳. पुत्र वंशीधर जाति ब्राह्मण निवासी बैराकीठाणी  
तन ब्राजना तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.

② पटवार हल्ला कासडी

③ भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला

④ बैंक ऑफ कटोया शाखा खण्डेला जीएम मैनेजर।

— प्रतिवादीगण

⑤ लमेश पुत्र जसु


⑥ सांवर पुत्र जसु

⑦ राजेन्द्र पुत्र जसु

जाति ब्राह्मण निवासी बैराकीठाणी तन ब्राजना तहसील  
खण्डेला जिला सीकर राज.

— तरलीकी प्रतिवादीगण



  
भागीरथ शाख  
(RAS)  
सहायक कलेक्टर  
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला